(26)

सं. 4(10)2017/रक्षा(पेंशन/विधिक)
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
रक्षा(पेंशन/विधिक)

सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 18.11.2020

सेवा में,
नौसेनाध्यक्ष

विषय: भूतपूर्व नौसैनिकों को नौसेना (पेंशन) विनियमन, 1964 के विनियम 95 के तहत विशेष पेंशन प्रदान किए जाने हेतु अवमानना याचिका (सी) सं. 2017/2018 में एमए सं. 1067/2018 में सिविल अपील सं. 2147/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.09.2019 और 06.11.2020 के आदेशों का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिनांक 06.09.2019 के अपने निर्णय के माध्यम से निम्नानुसार आदेश दिया है:-

"यह टिप्पणी करना अनावश्यक है कि नियमानुसार पेंशन का निर्धारण वास्तविक देय धनराशि से होना चाहिए ना कि दिनांक 27.09.2018 के आदेश में दर्शाए गए सदृश आंकड़ों के संदर्भ में। हम आशा और विश्वास करते हैं कि पेंशन संस्वीकृतिदाता प्राधिकरण (पीएसए) के द्वारा मामले में त्वरित निर्णय लिया जाएगा और अगली तारीख से पूर्व रिपोर्ट का अनुपालन किया जाएगा ।"

2. तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 22.10.2018 के पिछले समसंख्यक आदेश के अधिक्रमण में, दिनांक 03.07.1976 से पहले नियुक्त हुए और नौसेना पेंशन विनियमन, 1964 के विनियम 98 और 86 के साथ पठित विनियम 95 के तहत 10 वर्षों की सेवा की समाप्ति पर एवं दिनांक 03.07.1976 को या उसके बाद सेवा से बाहर हुए भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पेंशन दिए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्रदान की जाती है। माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2019 के अपने निर्णय में दिए गए आदेश के अनुसार नियमानुसार पेंशन का निर्धारण, दिनांक 27.09.2018 के आदेश में दर्शाए गए सदृश आंकड़ों के संदर्भ में किए जाने की बजाय वास्तविक देय धनराशि पर किया जाना चाहिए। निर्धारित की गई पेंशन की धनराशि दिनांक 01.09.2018 से देय होगी।

3. पीसीडीए (पी), इलाहाबाद के द्वारा तैयार की गई और सीजीडीए के द्वारा उपयुक्त प्रकार से अनुमोदित गणना शीट सहित भारत के उच्चतम न्यायालय में दिसंबर 2019 में डीपीए (नौसेना) के द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र से संदर्भित।

4. वर्तमान तारीख तक लाभार्थियों को प्रदान की गई उपदान, डीसीआरजी और 9000 रुपए प्रतिमाह की दर से विशेष पेंशन की राशि को भी, यदि पहले ही समायोजित नहीं किया गया हो, तो देय धनराशि के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। तदनुसार, संशोधित पीपीओ को भी जारी किया जाना चाहिए।

5. इस खाते पर किए गए व्यय, प्रभारित व्यय के तहत किए जाएंगे और इन्हें संबंधित खाता शीर्ष से घटाया जाएगा।

6. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से दिनांक 02.11.2020 के उनके आईडी सं. 17(03)/2020/वित्त/पेंशन के द्वारा जारी किया जाता है।

भवदीय,

हस्ता./-

(संजय रावत)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार ।